न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर, जिला—सांचौर

पीठासीन अधिकारी :— प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 36/2022
जीसीएमएस नम्बर 2022/56

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सांवलाराम पुत्र जगाराम 2. वसनाराम पुत्र जगाराम जातियान रेबारी निवासी सांचौर	बनाम	1. जेठाराम पुत्र जगाराम 2. जसवंती पुत्री जगाराम 3. भीखीदेवी पत्नी जगाराम 4. जोगाराम पुत्र लच्छाराम 5. निम्बाराम पुत्र लच्छाराम 6. देवाराम पुत्र लच्छाराम जातियान रेबारी 7. रामचन्द्र पुत्र पुरखाराम जाति जाट 8. देवाराम पुत्र नानजी जाति दर्जी निवासीगण सांचौर तहसील सांचौर 9. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर तहसील साचौर

दावा बाबत् बंटवाडा खातेदारी भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1. वादीगण अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद
2. प्रतिवादी संख्या 7 के अधिवक्ता श्री अमजद खां।

—: निर्णय :—

दिनांक :— 20/11/2024

1. वादीगण ने राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 एक ही परिवार के है। ग्राम सांचोर के खसरा नम्बर 251 रकबा 3.07 हैक्टर भूमि में वादीगण प्रत्येंक का 32/1535 हिस्से अनुसार 0.064—0.064 हैक्टेयर आराजी बंट में आती है तथा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 प्रत्येक का 32/1535 हिस्से अनुसार प्रत्यंक का 0.064—0.064 हैक्टर बंट में आती है तथा माफिक राजस्व रेकर्ड में हिस्सा अनसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 का मौके पर काशत व कब्जा पूर्व आपसी मौखिक बंटवाडा अनुसार चला आ रहा है किन्तु उपरोक्त आराजी संयुक्त खातेदारी की होने से राजस्व रेकर्ड में विधिवत बंटवाडा न होने के कारण हम वादीगण को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली हर सुविधा लेने हेतु हमें बार—बार प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 की सहमति की आवश्यकता पडती रहती है किन्तु प्रतिवादी संख्या 04 ता 07 हमें राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखने हेतु आना कानी करते रहते है जबकि वादीगण उक्त आराजी के सहखातेदार होने से वादीगण अपने हिस्से की भूमि का बंटवाडा करवाने के विधिवत् अधिकारी है किन्तु प्रतिवादी संख्या 04 ता 07 हमें बार बार उक्त आराजी में हमारे हक व हिस्से की ... की भूमि में प्लोट काटकर अजनबी व्यक्तियों को बैचान कर ... बेदखल करवाने की धमकियां देते रहते है जबकि वादीगण उक्त खातेदारी आराजी के विधिवत् रेकर्ड खातेदार होने से ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 04 ता 07 को कतई अधिकार था एवं न ही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.01.27 12:03:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

2. उक्त वादग्रस्त आराजी का मौके पर हम वादीगण का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर काश्त व कब्जा अनुसार प्रतिवादी संख्या 04 ता 07 को आज से करीब एक माह पूर्व आपसी बंटवाडा करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 04 ता 07 ने हम वादीगण को ऐलानियां धमकियां दी कि उक्त वादग्रस्त आराजी में खातेदारी में हमारा नाम भी दर्ज है इस कारण हम उक्त कृषि भूमि में प्लॉट काटकर किसी अजनबी व्यक्तियों को बैचान करके तुम्हे मौके से बेदखल करवा देगें, ऐसी सूरत में दावा बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

3. वाद बिनायवाद मौजा संचोर के खेत खसरा संख्या 251 रकबा 3.07 हैक्टर भूमि के हम वादीगण रेकोर्डेड खातेदार होने से तथा उक्त आराजी में हम प्रत्येंक वादीगण का 32/1535 वां हिस्सा होने से हम वादीगण ने उक्त आराजी का बाय मिट्स एण्ड बाउड्स के आधार पर आज से करीबन 01 माह पूर्व प्रतिवादी संख्या 04 ता 07 को निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 04 ता 07 ने हमारे हक व बंट व कब्जे काश्त वाली भूमि के प्लॉट काटकर अजनबी व्यक्तियों को बैचान कर हमें मौके से बेदखल करवाने की ऐलानियां धमकियां देने से बिनायवाद बमुकाम सांचोर पैदा हुआ है।

4. वादीगण की वाद में इस्तदुआ है कि सरहद मौजा सांचोर के खेत खसरा संख्या 251 रकबा 3.07 हैक्टर भूमि में वादीगण प्रत्येंक का 32/1535–32/1535 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से तथा माफिक राजस्व रेकर्ड हिस्सानुसार मौके पर वादीगण का काश्त व कब्जा होने से तथा वादीगण वादग्रस्त आराजी के रेकोर्डेड खातेदार होने से उक्त आराजी का वादीगण बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा करवाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 सादिर फरमावे। साथ ही वादग्रस्त आराजी पर माफिक राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सानुसार वादीगण का मौके पर सहज व शांतिपूर्वक काश्त व कब्जा होने से किन्तु प्रतिवादी संख्या 04 ता 07 ने हमारे कब्जे काश्त वाली भूमि में प्लॉट काटकर किसी अजनबी व्यक्तियों को बैचान कर हमें बेदखल करवाने की धमकियां देने से वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 सादिर फरमावे।

5. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 3 की कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 4 से 9 की ओर से प्रर्याप्त अवसर उपरांत जवाब नहीं देने से न्यायहित में जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर जवाब दावा पेश किया गया।

6. प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की संयुक्त सामलाती आराजी मौजा सांचौर के खसरा नम्बर 251 रकबा 3.07 हैक्टेयर आई हुई है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 32/1535 हिस्सा अर्थात 0.064 हैक्टेयर बंट में आता है। तथा उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 रेकॉर्डेड खातेदार है। उक्त अनवान प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादीगण की इस्तदुआ ... बंटवाडा करवाने के लिए सहमत है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक ... 32/1535 – 32/1535 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से ... मौके पर हम प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का कब्जा काश्त ... हम वादग्रस्त आराजी के रेकोर्डेड खातेदार होने से उक्त आराजी का हम प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का हिस्सा संयुक्त रूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा करवाने के कानूनन अधिकारी होने से बंटवाडा की डिकी सादिर फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.01.27 12:03:23 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

7. वादीगण के अधिवक्ता के निवेदन पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब का भली – भांती अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में विवादीत आराजी मौजा सांचौर, पटवार हल्का सांचौर के खाता संख्या 154 के खसरा संख्या 251 रकबा 3.07 हैक्टेयर आराजी में वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व शेष प्रतिवादी का हिस्सा अलग रखते हुए वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के बीच में रास्ते की सुविधा देते हुए कब्जा काश्त व हक–हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर दोनों पक्षों को सूचित कर मौका फर्द बनाकर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेश दिये जाते है। जो राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करें। उक्तानुसार बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी किया जावे। तथा तहसीलदार सांचौर को निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावे।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर
सांचौर जिला–सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 20/11/2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सांचौर जिला– सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.01.27 12:03:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner